



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्य०)
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016.
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQs)
An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India
18, Institutional Area, S.J.S Marg, New Delhi-110016.
Tel.:011-26521841
Website: www.kvsangathan.nic.in

फ.110333/2023-24/के.वि.सं.(मु.)/शैक्षिक/भुवनेश्वर | 2104

दिनांक: 26.02.2023

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
भुवनेश्वर संभाग (Bhubaneswar Region)

विषय: सत्र 2023-24 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रेंथ (कक्षाओं के बढ़ाने एवं घटाने) के संबंध में।
महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक staff strength के online web portal के माध्यम से सत्र 2023-24 के लिए कक्षाओं की स्वीकृति हेतु दिनांक 08.12.2022 द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्राप्त प्रस्ताव पर विचार के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय विद्यालयों में सेक्शन बढ़ाने एवं घटाने की अनुमति सत्र 2023-24 से प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	के.वि. का नाम	सत्र 2023-24 के लिए कक्षाएँ/सेक्शन बढ़ाने/घटाने की अनुमति
1	Berhampur	Decreased one section in class-X. No other change.
2	Dhenkanal	No change.
3	Jharsuguda	Decreased one section in class-V and sanctioned 2 nd section in class-X.
4	Paradip Port	Sanctioned 3 rd section in class-X.
5	Malkangiri	Sanctioned 2 nd section in class-II and decreased one section in class-X. No other change.
6	Nabarangpur	Sanctioned 2 nd section in class-X.
7	Rayagadha	Sanctioned 2 nd section in class-X.
8	Sonepur	Sanctioned 2 nd section in class-II.
9	Jajpur	Sanctioned 2 nd section in class-X.
10	Aska	Sanctioned 2 nd section in each class-I, II & III and one section in class-XI(Sc.).
11	No. 3 Cuttack	Sanctioned 2 nd section in class-II & one section in class-XI(Sc.). Decreased one section in class-X.
12	Nayagarh	Sanctioned 2 nd section in class-VII.
13	No. 5 Bhubaneswar	Sanctioned 2 nd section in class-X.
14	No. 6 Bhubaneswar	Sanctioned 2 nd section in each class-IX & X.
15	Rairangpur, Mahuldiha	Sanctioned 2 nd section in class-VII.
16	No. 2 Sambalpur	Sanctioned 2 nd section in class-VII.
17	Hinjilicut	Sanctioned one section in class-XII(Sc.).
18	No. 2 Angul	No change.
19	Gunupur	Sanctioned one section in class-IX.
20	Anandpur	Sanctioned one section in class-IX.
21	Chatarpur	Sanctioned one section in class-VIII.
22	MCL Jagannath Area	Sanctioned one section in class-VI.
23	MCL Subhadra Arca	Sanctioned one section in class-VI.
24	IIT Bhubaneswar	Sanctioned one section in class-IX.

अन्य केन्द्रीय विद्यालयों के सेक्शनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कृपया संबन्धित उपायुक्त स्टाफ स्वीकृति हेतु, स्टाफ स्वीकृति के मानदंडों के अनुसार पूर्णतः जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात ही निम्नलिखित दस्तावेज़ (Proforma-A & Proforma-B), निम्नलिखित प्रमाण पत्र (Certificate) के साथ इस कार्यालय को अग्रिम कार्रवाई हेतु 10 दिनों के अंदर प्रेषित करें।

“It should further be certified that the calculations are strictly as per staffing norms and there is no deviation.”

- समेकित प्रोफॉर्मा-A (Consolidated Proforma-A)- duly signed by the Deputy Commissioner of the Region.
- आपके संभाग के अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ स्वीकृति हेतु जारी किया जाने वाला Draft Proforma-B (Soft copy in Excel format).
- इस पत्र के साथ संलग्न Excel Sheet में समेकित विवरण भी भरकर भेजें।

संबन्धित उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें एवं सुनिश्चित करें कि उपरोक्त डाटा/ दस्तावेज़ जो के.वि.सं. मुख्यालय में भेजे जा रहे हैं वे पूर्णतः सही हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखें कि जिन-जिन केन्द्रीय विद्यालयों में एक समान कक्षाएँ हैं वहाँ पर पदों की संख्या भी नियमानुसार, यथासंभव समान होनी चाहिए।

भवदीया

(पल्लवी शर्मा)
उपायुक्त (शैक्षिक)

संलग्नक : यथोपरि।